न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मन्दसौर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 4/B-113(1) 2008-09

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पी0 एम0 वी0 एज्यूकेशनल ट्रस्ट मन्दसौर का पंजीयन दिनांक 30/12/2009 को इस न्यायालय द्वारा किया गया है । ट्रस्ट का पंजीयन रजिस्टर के प्रविष्टि क्रमांक 100 पर दर्ज किया गया है ।

स्थान : मन्दसौर
दिनांक: 29/03/2012

(लक्ष्मी गामड़)
पंजीयक लोकन्यास
पंजीयक
लोक न्यास मन्दसौर (म. प्र.)
एवं अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) मन्दसौर (म0प्र0)

(4)

<u>न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मंदसौर,म.प्र.</u>

प्रकरण क्रमांक 4/बी-113(1)/08-09

पी.एम.वी. एज्युकेशनल ट्रस्ट, मंदसौर
द्वारा ट्रस्टी
1- श्रीमती पूजा पति विपिन गोयल,
म.नं.1218, सेक्टर 15 फरीदाबाद
2- श्रीमती मुक्ता पति विशाल गोयल,
स्टार्च फेक्ट्री प्रेमाईसिस, महू-नीमच रोड, मंदसौर
3- विशाल पिता प्रेमचंद गोयल
स्टार्च फेक्ट्री प्रेमाईसिस, महू-नीमच रोड़, मंदसौर
----------------------------------प्रार्थीगण

अविकल प्रतिलिपी
11/1/2010
हेड कापिस्ट
कलेक्टोरेट जिला मन्दसौर (म.प्र.)

विरूद्ध
मध्य प्रदेश शासन

(आदेश दिनांक 30/12/2009)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी पी.एम.वी. एज्युकेशनल ट्रस्ट, मंदसौर द्वारा ट्रस्टी श्रीमती पूजा गोयल, श्रीमती मुक्ता गोयल, श्री विशाल गोयल निवासी मंदसौर द्वारा मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के तहत ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

2/- मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 (2), मध्य प्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के तहत विधिवत् सूचना जारी की गई कि उक्त न्यास या सम्पत्ति में कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति से आपत्तियां आमंत्रित की गई । यह सूचना पत्र मध्य प्रदेश राजपत्र भाग-3 (1) में दिनांक 20-3-09 को प्रकाशित हुआ । किन्तु नियत समयावधि में कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

3/- प्रकरण में प्रार्थी की और से विशाल गोयल के कथन कलमबद्ध किये गये । कथन में साक्षी द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया ।

4/- प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रस्तावित ट्रस्ट का पंजीयन किया जाना उपयुक्त पाया गया । अतः मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 6 के तहत पी.एम.वी. एज्युकेशनल ट्रस्ट मंदसौर का पंजीयन निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है :-

1-	न्यास का पुरा नाम	पी एम वी एज्युकेशनल ट्रस्ट, मंदसौर
2-	न्यास का कार्यालय	स्टार्च फेक्ट्री प्रेमाईसिस, महू-नीमच रोड़, मंदसौर
3-	न्यास का उद्देश्य	शैक्षणिक, सामाजिक एवं चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करना आदि ।
4-	संस्था की शक्ति तथा कृत्य	भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के प्रावधानों के अनुसार और आयकर अधिनियम 1961 , आयकर नियम 1962 के प्रावधानों के अध्यधीन न्यासीगण में सामान्य रूप से निहित की गई शक्तियों को बिना प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए न्यासी मण्डल को विशेषाधिकार होंगे ।

7/12/09

(5)

5-	उद्देश्यों का निर्वचन	न्यास का उद्देश्य भारत के लोगों के लिये भाषा, धर्म, क्षैत्र, सम्प्रदाय, जाति, पंथ को विचार में लाये बिना सामान्य रूप से समाज के कल्याण को प्रोन्नत करने के लिए सेवाए प्रदान करना आदि ।
6-	न्यासधारी का नाम पता	1- श्रीमती पूजा पति विपिन गोयल, म.नं.1218, सेक्टर 15 फरीदाबाद 2- श्रीमती मुक्ता पति विशाल गोयल, स्टार्च फेंक्ट्री प्रेमाईसिस, महू-नीमच रोड़, मंदसौर 3- विशाल पिता प्रेमचंद गोयल, स्टार्च फेक्ट्री प्रेमाईसिस, महू-नीमच रोड़, मंदसौर
7-	न्यासी पद या व्यवस्थापक के उत्तराधिकारी की रीति	न्यासी की पदावधि 5 वर्ष के लिए होगी । उस न्यासी की पदावधि समाप्त होने के पश्चात् न्यासी की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अध्यधीन नामांकित किया जा सकेगा । किसी भी व्यक्ति के लिए एक से अधिक पदावधि के लिए नियुक्ति की जा सकेगी ।
8-	न्यास की सम्पत्ति	1- रूपये 15000/- है । वर्तमान में न्यास के पास कोई अचल सम्पत्ति नही है ।

6/- न्यास पंजीयन की प्रविष्ठि न्यास पंजी में की जावे तथा न्यास पंजीयन की सूचना सूचना पलक पर प्रकाशित की जावे ।

30/12/09
(बी.एल.कोचले)
पंजीयक लोक न्यास
एवं अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) मंदसौर

COURT FEE INDIA TEN RUPEES

4/1/10 8/1/10 8/1/10 11/1/10 11/1/10

2000 480

11-1-2010